आयोग की बैठक की कार्यवाही का विवरण

राज्य वित्त आयोग की बैठक दिनांक 28.10.2015 को अपरान्ह 2 बजे माननीया अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण के कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंह एवं सदस्य सचिव श्री एस. सी. देराश्री ने भाग लिया। इस बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा हुई तथा निर्णय लिये गये।

1. पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों से सूचना प्राप्त करने के लिये बनाई गई प्रश्नावलियों एवं सूचना प्रपत्रो की समीक्षा व अनुमोदन किया गया।
2. माननीय अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण ने बताया कि ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर पंचायतों के अधीन एवं स्वामित्व वाले भवनो एवं अन्य विभागो के भवनो की मरम्मत एवं रख–रखाव के लिये बजट एवं राशि का प्रावधान नही होने से इन भवनो के रख–रखाव की कोई व्यवस्था नही होती। ऐसी समस्या बहुतायत से उनके समक्ष रखी गयी है। आयोग को इस संबंध में आवश्यक सूचनायें एकत्रित कर अपने आगे के प्रतिवेदनो में इस हेतु राशि आवंटन की सिफारिश करने की संभावना पर विचार करना चाहिये। इस बारे में माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंह का सुझाव था कि आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन में प्रोत्साहन हेतु रखी गई 5 प्रतिशत राशि का उपयोग होने की संभावना कम है। अतः इस राशि को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भवनो की आवश्यक मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु उपयोग में लिये जाने पर विचार किया जा सकता है।
3. चर्चा के दौरान मनरेगा के कामो को डोवटेल किये जाने के दिशानिर्देशों एवं इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूर, मिस्त्री उपलब्ध नही होने की समस्या पर भी विचार हुआ तथा इस समस्या के बारे में आयोग स्तर पर भी परीक्षण कर समाधान निकाले जाने पर चर्चा हुई।
4. हेण्डपम्प मिस्त्रियों को समय पर वेतन नही मिलने की समस्या का भी माननीय सदस्य ने जिक्र किया। आयोग ने अपने अन्तिरम प्रतिवेदन में जनता जल योजना के बकाया भुगतान मूलभूत नागरिक सेवाओं के रख–रखाव एवं विकास कार्यो हेतु आवंटित 85% राशि में से किये जाने की सिफारिश की है लेकिन हेण्डपम्प मिस्त्री का वेतन भुगतान जनता जल योजना का हिस्सा नही होने से उन्हे वेतन में समस्या रहती है। आयोग द्वारा इस बारे में पंचायती राज विभाग/संस्थाओं से वाछिंत जानकारी एकत्रित कर इस समस्या के समाधान के बारे में विचार करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(एस.सी.देराश्री)
सदस्य सचव